



# बिहार विधान सभा

## कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा

एकादश सत्र

मंगलवार, तिथि 27 फरवरी, 2024 ई०

08 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

#### ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. श्री आलोक रंजन, श्री कुमार शैलेन्द्र एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [स्वास्थ्य विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

[दिनांक 23 फरवरी, 2024 से स्थगित]

3. श्री अजय कुमार, श्री महा नंद सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

4. डॉ० सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

#### सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पंथ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

6. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।

7. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

#### वित्तीय कार्य

8. वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [ग्रामीण विकास विभाग] पर वाद-विवाद एवं मतदान होगा तथा शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा लिया जायेगा ।

[मांग एवं कटौती प्रस्ताव की सूची अलग से वितरित की जा रही है ]

**विधायी कार्य**  
**राजकीय (वित्तीय) विधेयक**

**“बिहार विनियोग विधेयक, 2024”**

9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग विधेयक, 2024” पर विचार हो।
12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग विधेयक, 2024” स्वीकृत हो।
13. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

**राज कुमार**  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024-

991

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/24  
(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024-

991

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/24  
(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024-

991

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/24  
(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024-

991

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित।

21/02/24  
(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024-

991

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण/ संयुक्त निदेशक/ उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

21/02/24  
(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।